भाग - I

विद्युत क्षेत्र

अध्याय-1

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

भाग-I

अध्याय 1

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

1.1 विद्युत क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि करता है। राज्य में विद्युत क्षेत्र के पाँच उपक्रम हैं। इन पाँच सा.क्षे.उ. में से एक[1] सा.क्षे.उ. निष्क्रिय है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के लिए विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका में मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर और स.रा.घ.उ. का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.1: हरियाणा के स.रा.घ.उ. की तुलना में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,370.70	36,818.34
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73	7,07,126.33
हरियाणा के स.रा.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	6.27	5.98	7.40	5.65	5.21

2013-14 के लिए हरियाणा की स.रा.घ.उ.: ₹3,95,747.73 करोड़, 2013-14 के लिए टर्नओवर: ₹22,256.12 करोड़।

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार संबंधित वर्षों (उन्नत अनुमान) की वर्तमान कीमतों पर वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. के टर्नओवर और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान वृद्धि की प्रवृति दर्ज की गई है और यह 2014-19 की अवधि के दौरान 6.35 प्रतिशत और 24.54 प्रतिशत के बीच रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हरियाणा के स.रा.घ.उ. में वृद्धि -11.78 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के बीच रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 12.31 प्रतिशत थी। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि विविध समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। स.रा.घ.उ. की 12.31 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के विरूद्ध विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 10.59 प्रतिशत की मामूली वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इससे विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 6.27 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 5.21 प्रतिशत हो गई।

[1] सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी को बंद करने का निर्णय (29 मार्च 2019) लिया है।

हरियाणा राज्य सहित राज्य की बिजली वितरण उपयोगिताओं की स्थापना के बाद से उनके संचालन में लगातार नुकसान हो रहा था। बिजली वितरण उपयोगिताओं पर 31 मार्च 2016 को वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 29,063.67 करोड़ के संचित घाटे का बोझ था। उन पर उस तारीख के अनुसार ₹ 24,836.31 करोड़ के ऋण भी थे। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने (20 नवंबर 2015) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) नामक योजना शुरू की। उदय के प्रावधानों और दो बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉमस) द्वारा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति

1.2 2014-15 से 2018-19 के दौरान बिजली की अधिकतम मांग, इसकी उपलब्धता, और राज्य की अपनी बिजली उत्पादन उपयोगिता, हरियाणा विद्युत उत्पादन कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) के माध्यम से हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1.2: एच.पी.जी.सी.एल. के विद्युत उत्पादन के विवरण

वर्ष	एच.पी.जी.सी.एल. की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग (मेगावाट में)	विद्युत की उपलब्धता (मेगावाट में)	अधिकतम मांग से ऊपर टाईड-अप अतिरिक्त विद्युत की प्रतिशतता	कुल विद्युत आपूर्ति (मिलियन यूनिट में)	एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा आपूरित विद्युत (मिलियन यूनिट में)	कुल आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. का हिस्सा (प्रतिशत में)
2014-15	3,230.20	9,152	11,271.47	23.16	51,107	12,675	24.80
2015-16	2,782.40	9,113	11,294.47	23.94	50,900	9,796	19.25
2016-17	2,792.40	9,262	11,332.42	22.35	51,264	8,885	17.33
2017-18	2,792.40	9,671	11,442.42	18.32	54,735	10,084	18.42
2018-19	2,792.40	10,270	12,181.42	18.61	56,994	9,983	17.52

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट, एच.पी.जी.सी.एल. के वार्षिक लेखे और हरियाणा बिजली खरीद केंद्र द्वारा आपूरित डाटा।

राज्य ने अपनी अधिकतम मांग से अधिक बिजली के लिए टाई-अप (विद्युत खरीद अनुबंध) किए हुए हैं, जिसका अर्थ है कि हरियाणा, बिजली आधिक्य वाला राज्य है। साथ ही, राज्य में कुल बिजली आपूर्ति में एच.पी.जी.सी.एल. की हिस्सेदारी इसकी उच्च परिवर्तनीय लागत के कारण अन्य विद्युत उत्पादकों जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और निजी बिजली उत्पादकों की तुलना में लगातार घटती जा रही है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.3 पूववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (बोर्ड) का गठन 3 मई 1967 को बिजली (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड, राज्य में बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण के लिए उत्तरदायी था। राज्य में बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण के लिए बोर्ड जिम्मेदार था। बोर्ड अपने परिचालन में लाभदायक नहीं था और 31 मार्च 1993 तक इसकी संचित हानि ₹ 1,358.67 करोड़ थी। बोर्ड ने मुख्य रूप से एक टैरिफ संरचना के कारण हानि उठाई जो कि पारिश्रमिक, उच्च प्रसारण एवं वितरण हानि, कृषि क्षेत्र को सब्सिडी वाली बिजली की आपूर्ति और इसके अपने थर्मल पावर स्टेशनों में कम संयंत्र भार घटक के कारण नहीं थी।

इन हानियों ने विकास गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अड़चनों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन (1998) किया और विद्युत उत्पादन का व्यवसाय हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.) को हस्तांतरित कर दिया, प्रसारण और वितरण कार्य हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) को हस्तांतरित कर दिए गए थे। विद्युत वितरण कार्य को बाद में दो वितरण कंपनियों अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) को हस्तांतरित (1999) कर दिया गया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य में चालू वर्ष के दौरान दो अन्य सा.क्षे.उ. थे - यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2018-19 के दौरान बंद हो गई) और सौर उर्जा निगम हरियाणा लिमिटेड, ने मार्च 2019 में बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि पंचायत विभाग ने इकाई को अपना व्यवसाय करने के लिए उप-पट्टे की अनुमति नहीं दी।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

1.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2019 को बिजली क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश[2] का गतिविधि-वार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सा.क्षे.उ. की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)						
		हरियाणा सरकार की इक्विटी	अन्य की इक्विटी	हरियाणा सरकार के दीर्घ अवधि ऋण	अन्यों से ऋण	हरियाणा सरकार से अनुदान *	कुल	
							हरियाणा सरकार	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+5+7	9=4+6
विद्युत का उत्पादन	1	2,906.33	145.00	0	1,210.04	0.86	2,907.19	1,355.04
विद्युत का प्रसारण	1	3,520.66	0	0	4,589.85	18,967.65	22,488.31	4,589.85
विद्युत का वितरण	2	22,876.49	984.27	11.36	5,333.28	59,808.52	82,696.37	6,317.55
कुल	**4**	**29,303.48**	**1,129.27**	**11.36**	**11,133.17**	**78,777.03**	**1,08,091.87**	**12,262.44**

स्रोत: सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

* अनुदान केवल हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

31 मार्च 2019 तक, विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी, दीर्घ अवधि ऋण और अनुदान एवं सब्सिडी) ₹ 1,20,354.31 करोड़ था। निवेश में 25.29 प्रतिशत इक्विटी, 9.26 प्रतिशत दीर्घ अवधि ऋण और 65.45 प्रतिशत अनुदान/सब्सिडी शामिल हैं।

[2] निवेश में हरियाणा सरकार और अन्य द्वारा विस्तारित प्रदत्त पूँजी, दीर्घ अवधि ऋण और अनुदान शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त अनुदान/सब्सिडी (₹ 26,612.17 करोड़) के घटक-वार विश्लेषण से पता चला कि परिचालन और प्रशासनिक खर्चों के लिए अनुदान/सब्सिडी दी गई थी, जिसमें से 99.93 प्रतिशत (₹ 26,593.61 करोड़) ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी (किसानों को रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति के लिए) के लिए जारी किए गए थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए दीर्घ अवधि ऋणों में कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 0.10 प्रतिशत (₹ 11.36 करोड़) संगठित किया, जबकि कुल दीर्घ अवधि ऋणों का 99.90 प्रतिशत (₹ 11,133.17 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया। हालाँकि, 2015-16 और 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 30 सितंबर 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना[3] (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम के बकाया ऋण (समग्र पेंशन ट्रस्ट और पी.एफ. ट्रस्ट की ओर डिस्कॉम की देयताओं के खाते में ₹ 1,149 करोड़ सहित ₹ 34,600 करोड़) का ₹ 25,950 करोड़ (75 प्रतिशत) लिया है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.6 हरियाणा सरकार (जी.ओ.एच.) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान/परिदान, बट्टे खाते डाले गए ऋण और इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के लिए बजटीय निर्गम का सारांशित विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.4: पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
पूंजीगत इक्विटी[4] (i)	4	3,225.49	4	10,644.44	4	13,302.48[5]
दिए गए ऋण (ii)[6]	3	1,974.67	3	550.70	2	52.84
प्रदान किए गए अनुदान/परिदान[7] (iii)	3	10,501.35	2	4,864.00	3	7,370.28
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**15,701.51**		**16,059.14**		**20,725.60**
बट्टे खाते डाले गए ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	4	5,494.92[8]
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	3	5,531.99
जारी की गई गारंटियां	3	87.39	3	263.18	3	1,120.59
प्रतिबद्ध गारंटियां	4	5,563.18	4	4,204.17	3	1,758.09

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

---

3 डिस्कॉम्ज के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम।

4 इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त इक्विटी अर्थात् वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 1,297.50 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 5,190 करोड़ शामिल हैं।

5 इसमें ₹ 7,785 करोड़ की अनुदान राशि भी शामिल है जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

6 इसमें वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 3,460 करोड़ के उदय स्कीम के अंतर्गत दिए गए ब्याज वहन करने वाले ऋण शामिल नहीं है।

7 इसमें 2016-17 के दौरान उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त ₹ 3,892.50 करोड़ का अनुदान शामिल है।

8 यह ऋण का कुल पुनर्भुगतान है और समाप्त किये ऋण शून्य है।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के प्रति बजटीय समर्थन का विवरण नीचे दिए गए ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.1: इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/परिदान के लिए बजटीय सहायता

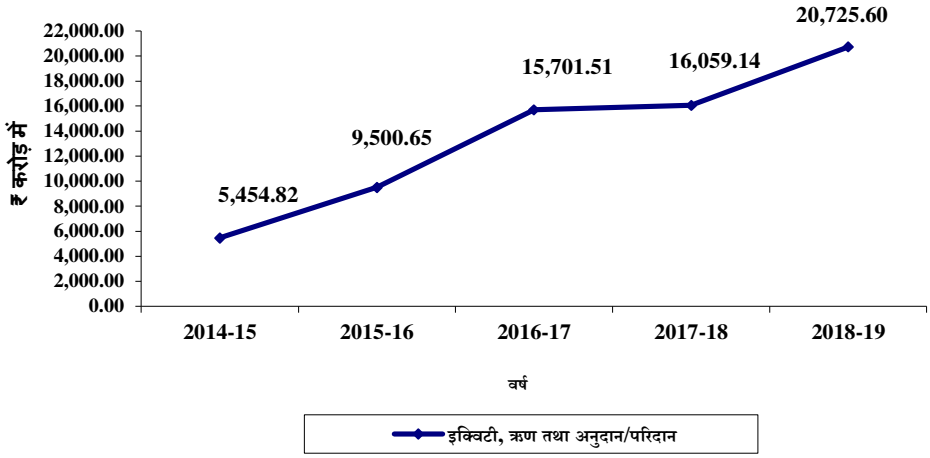

उदय स्कीम के अंतर्गत, 2017-18 के दौरान विद्युत क्षेत्र के डिस्कॉम्ज द्वारा ₹ 15,570 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को चुकाया गया और 2017-18 के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र की दो राज्य डिस्कॉम्ज कंपनियों की इक्विटी में नया अंशदान (₹ 5,190 करोड़) किया गया। विभिन्न पूंजी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अतिरिक्त इक्विटी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान डिस्कॉम्ज और ह.वि.प्र.नि.लि. दोनों को ₹ 5,190 करोड़ के ऋण की राशि को चुकाने और ₹ 7,785 करोड़ की राशि के अनुदान को इक्विटी में बदलने के लिए ₹ 12,975 करोड़ की राशि जारी की।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन गारंटी देती है और दो प्रतिशत की दर पर गारंटी फीस प्रभारित करती है। गारंटी प्रतिबद्धता 2016-17 में ₹ 5,563.18 करोड़ से घटकर 2018-19 के दौरान ₹ 1,758.09 करोड़ हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को सात करोड़ रूपए की गारंटी फीस दी गई थी।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं से मिलान

1.7 राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों के समान होने चाहिए। आंकड़ों के समान न होने पर संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। वित्त लेखाओं के अनुसार और कंपनी के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2019

को इक्विटी, ऋण और गारंटी के आंकड़ों में अंतर थे जैसा कि नीचे बताया गया है:

तालिका 1.5: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटी

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	कंपनी का नाम	वित्त लेखाओं के अनुसार	कंपनी लेखाओं के अनुसार	अंतर
1	2	3	4	5 = 3 - 4
इक्विटी				
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	3,301.00	2,906.33	394.67
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3,169.47	3,520.66	-351.19
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	8,104.00	12,134.99	-4,030.99
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	6,866.67	10,741.50	-3,874.83
ऋण				
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	57.61	0.00	57.61
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	6,413.61	11.36	6,402.25
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड			
गारंटी				
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	47.47	47.47	0.00
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	1,549.00	1,549.00	0.00
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1,251.36	1,084.67	166.69
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	373.42	373.42	0.00

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

अंतरों के मिलान का मामला भी समय-समय पर सा.क्षे.उ./विभागों के साथ उठाया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और सा.क्षे.उ. को समयबद्ध तरीके से अंतरों का मिलान करना चाहिए।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

1.8 31 मार्च 2019 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में विद्युत क्षेत्र के पांच उपक्रम थे। वर्ष 2018-19 के लिए चार कार्यरत सा.क्षे.उ. द्वारा 30 सितंबर 2019 तक सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखा प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में बकायों के विवरण

नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्रों के उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	5	4	5	5	4
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	5	2	6	8	4
3.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लेखे अंतिमकृत किए	3	0	2	5	4
4.	चालू वर्ष के दौरान अंतिमकृत किए गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	2	2	4	3	0
5.	लेखाओं में बकाया वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	2	4	3	0	0
6.	लेखाओं में बकाया की संख्या	2	4	3	0	0
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-

स्रोत: अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

अब विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लेखाओं को अंतिम रूप देने में कोई बकाया नहीं है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.9 30 सितंबर 2019 तक अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों के विवरण ***परिशिष्ट 1*** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उचित लाभ देने की उम्मीद की जाती है। 31 मार्च 2019 को विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में कुल निवेश की राशि इक्विटी के रूप में ₹ 30,432.75 करोड़, दीर्घ अवधि ऋणों के रूप में ₹ 11,144.53 करोड़ और अनुदान/सब्सिडी के रूप में ₹ 78,777.03 करोड़ को मिलाकर ₹ 1,20,354.31 करोड़ थी। इसमें से, हरियाणा सरकार ने विद्युत क्षेत्र के चार सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 29,303.48 करोड़ की इक्विटी और ₹ 11.36 करोड़ के दीर्घ अवधि ऋणों और ₹ 78,777.03 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी को मिलाकर ₹ 1,08,091.87 करोड़ का निवेश किया है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. में इक्विटी, दीर्घ अवधि ऋणों और अनुदान/सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार के निवेश की वर्ष-वार स्थिति

निम्नानुसार है:

चार्ट 1.2: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश

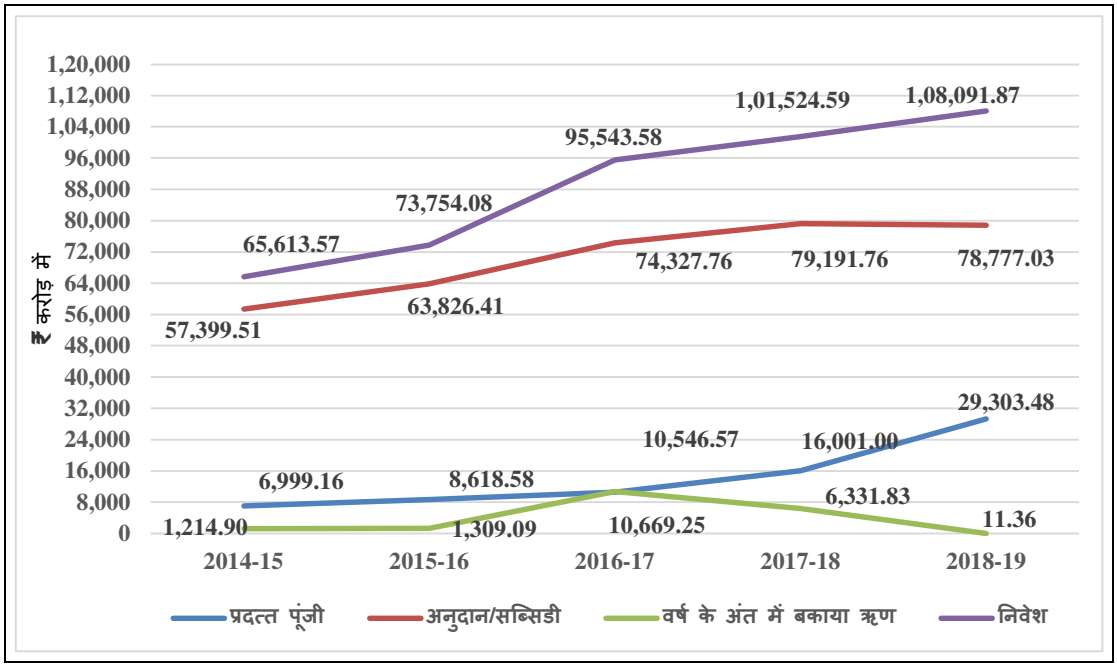

विद्युत क्षेत्र में हरियाणा सरकार का कुल निवेश 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 1.65 गुना बढ़ा, जैसा कि चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

किसी कंपनी के वित्तीय निष्पादन और लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर रिटर्न, इक्विटी पर रिटर्न और नियोजित पूंजी पर रिटर्न के माध्यम से किया जाता है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

निवेश पर रिटर्न

1.10 निवेश पर रिटर्न कुल निवेश में लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के सभी कार्यरत उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि[9] की समग्र स्थिति को नीचे चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

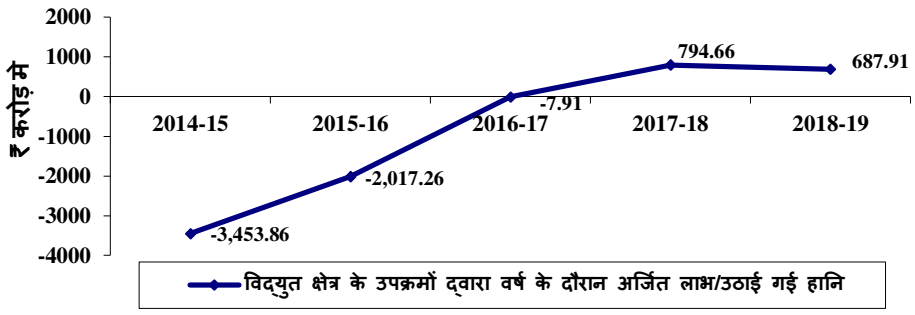

[9] आंकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार हैं।

विद्युत क्षेत्र के सभी चार सा.क्षे.उ. द्वारा 2018-19 में अर्जित लाभ संचयी रूप से ₹ 687.91 करोड़ था जिसमें एच.पी.जी.सी.एल. ने ₹ 209.99 करोड़ और एच.वी.पी.एन.एल. ने ₹ 196.98 करोड़ का योगदान दिया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति, जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई, नीचे दी गई है:

तालिका 1.7: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने लाभ अर्जित किया/हानि उठाई

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सा.क्षे.उ.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2014-15	4	1	2	1
2015-16	4	1	2	1
2016-17	4	3	1	0
2017-18	4	4	0	0
2018-19	4	4	0	0

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न

1.11 राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र के सभी चार उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/परिदान के रूप में निधियों का निवेश किया। चार सा.क्षे.उ. से निवेश पर रिटर्न की गणना हरियाणा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. में इक्विटी, दीर्घ अवधि ऋणों और अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति इस हद तक होती है कि ऋणों को पुनर्भुगतान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है।

₹ 231.90 करोड़ की आरंभिक संचित हानियों के समायोजन के बाद ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2018-19 के अंत में 31 मार्च 2019 को विद्युत क्षेत्र के इन चार सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार का निवेश ₹ 1,07,848.61 करोड़ (₹ 1,08,080.51 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ और ऋणों को लेखे में नहीं लेना था क्योंकि सभी ऋण ब्याज वाले ऋण थे) था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर रिटर्न नीचे दिया गया है:

तालिका 1.8: ऐतिहासिक लागत आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न

वित्तीय वर्ष	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और अनुदान/सब्सिडी के रूप में किया गया निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के कुल अर्जन/हानियां (₹ करोड़ में)	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
2014-15	64,166.76	-3,453.86	-5.38
2015-16	72,213.08	-2,017.26	-2.79
2016-17	84,642.42	-7.91	-0.04
2017-18	94,960.85	794.66	0.84
2018-19	1,07,848.61	687.91	0.64

विद्युत क्षेत्र के चार सा.क्षे.उ. में निवेश पर रिटर्न 2014-15 में (-) 5.38 प्रतिशत से सुधरकर 2017-18 में 0.84 प्रतिशत हो गया, लेकिन लाभ में कमी के साथ युग्मित अधिक इक्विटी

और अनुदान/सब्सिडी के कारण 2018-19 में घटकर 0.64 प्रतिशत रह गया। हरियाणा सरकार द्वारा उदय के अंतर्गत निधियों के निवेश और ए.टी. एंड सी. हानि में कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में निवेश पर रिटर्न में सुधार हुआ है।

निवेश का वर्तमान मूल्य

1.12 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के मद्देनजर, राज्य सरकार के नजरिए से ऐसे निवेश पर वास्तविक रिटर्न की दर (आर.ओ.आर.आर.) जरूरी है। निवेश पर रिटर्न की पारंपरिक गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित है, जो कि निवेश पर रिटर्न की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि ऐसी गणना पैसे के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, इसके अतिरिक्त, आर.ओ.आर.आर. की गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को इसके वर्तमान मूल्य पर लाने के उद्देश्य से राज्य सा.क्षे.उ. में हरियाणा सरकार द्वारा निवेशित पिछले निवेशों/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-दर-वर्ष औसत दर पर संयोजित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक इक्विटी, प्रचालन एवं प्रशासनिक व्यय के लिए अनुदान एवं परिदान और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई थी। हालांकि, चार सा.क्षे.उ. में वर्ष 2017-18 से आगे निवेश पर सकारात्मक रिटर्न मिला। इसलिए, केवल वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए, निवेश पर रिटर्न की गणना की गई है और वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाई गई है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना में निम्नलिखित धारणाएं बनाई गईं थीं:

- जहां सा.क्षे.उ. को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था और बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[10] के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और परिदानों को कम विनिवेश के माध्यम से पारंपरिक रूप से वास्तविक प्रतिफल की दर पर पहुंचने के लिए माना जाता था।

2014-15 (तीन कंपनियों), 2015-16 (तीन कंपनियों), 2016-17 (केवल एक कंपनी) की अवधि के लिए, जब इन कंपनियों को नुकसान हुआ था, निष्पादन का एक और अधिक

---

[10] सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों से अपनाई गई थी जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

उपयुक्त उपाय घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण है जिस पर टिप्पणी अनुच्छेद 1.14 में दी गई है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक रिटर्न की दर (आर.ओ.आर.आर.)

1.13.1 31 मार्च 2019 तक इन कंपनियों की स्थापना के बाद से विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न) की समेकित स्थिति नीचे दी गई तालिका में इंगित की गई है:

तालिका 1.9: 1999-2000 से 2018-19 तक सरकारी निवेश का वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त इक्विटी	प्रचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/परिदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के लिए कुल अर्जन
1	2	3	4	5=(3+4)	6=2+5	7	8=(6x7/100)+6	9=6x7/100	10
1999-2000		448.11*	412.00	860.11	860.11	12.05	963.75	103.64	-445.55
2000-01	963.75	265	769.30	1,034.30	1,998.05	11.40	2,225.83	227.78	-221.63
2001-02	2,225.83	38.71	850.05	888.76	3,114.59	10.50	3,441.63	327.03	-182.55
2002-03	3,441.63	97.36	839.72	937.08	4,378.71	10.74	4,848.98	470.27	26.48
2003-04	4,848.98	112.27	988.12	1,100.39	5,949.38	10.20	6,556.21	606.84	239.68
2004-05	6,556.21	162.93	1,164.79	1,327.72	7,883.94	8.49	8,553.28	669.35	-371.08
2005-06	8,553.28	359.29	1,284.51	1,643.80	10,197.08	8.95	11,109.72	912.64	-377.65
2006-07	11,109.72	777.80	3,755.42	4,533.22	15,642.94	9.20	17,082.09	1,439.15	-416.21
2007-08	17,082.09	930.16	2,560.17	3,490.33	20,572.42	7.43	22,100.95	1,528.53	-649.1
2008-09	22,100.95	855.72	2,908.30	3,764.02	25,864.97	7.82	27,887.61	2,022.64	-1246.5
2009-10	27,887.61	898.82	2,771.09	3,669.91	31,557.52	9.29	34,489.22	2,931.69	-1,460.84
2010-11	34,489.22	882.18	5,905.77	6,787.95	41,277.17	9.22	45,082.92	3,805.75	-592.08
2011-12	45,082.92	573.35	7,153.15	7,726.50	52,809.42	9.73	57,947.78	5,138.36	-10,194.3
2012-13	57,947.78	198.62	10,258.26	10,456.88	68,404.66	9.86	75,149.36	6,744.70	-3,833.76
2013-14	75,149.36	100	10,544.22	10,644.22	85,793.58	9.83	94,227.09	8,433.51	-3,849.89
2014-15	94,227.09	66.94	5,234.63	5,301.57	99,528.66	9.33	1,08,814.68	9,286.02	-3,453.86
2015-16	1,08,814.68	1,619.42	6,426.90	8,046.32	1,16,861.00	8.64	1,26,957.79	10,096.79	-2,017.26
2016-17	1,26,957.79	1,927.99	10,501.35	12,429.34	1,39,387.13	8.00	1,50,538.10	11,150.97	-7.91
2017-18	1,50,538.10	5,454.43	4,864.00	10,318.43	1,60,856.53	8.10	1,73,885.91	13,029.38	794.66
2018-19	1,66,100.91[11]	13,302.48	7,370.28	20,672.76	1,86,773.67	8.81	2,03,228.43	16,454.76	687.91
कुल		**29,071.58**	**78,777.03#**	**1,07,848.61#**					

* सा.क्षे.उ. को हस्तांतरित ₹ 680.01 करोड़ से ₹ 231.90 करोड़ की कम प्रारंभिक संचित अवशिष्ट हानि के बराबर राशि। कॉलम संख्या 3, 4 और 10 के संबंध में सूचना संबंधित वर्षों के मुद्रित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकलित है।

\# इक्विटी में बदले गए ₹ 7,785 करोड़ कुल अनुदान में शामिल नहीं हैं जैसा कि फुटनोट 11 में उल्लिखित है।

2018-19 के अंत में इन चार कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹ 860.11 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा देय इक्विटी ₹ 680.01 करोड़ तथा अनुदान एवं

[11] आरंभिक शेष में ₹ 7,785 करोड़ का अंतर उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के कारण था (2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 3,892.50 करोड़) जो कि वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित हो गया था क्योंकि इसका प्रभाव पहले से ही संबंधित वर्षों के अनुदान में लिया गया था।

परिदान ₹ 412 करोड़ घटा ₹ 231.90 करोड़ का प्रारंभिक अवशिष्ट संचित घाटा) से बढ़कर ₹ 1,07,848.61 करोड़ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी तथा अनुदान/परिदान के रूप में ₹ 1,06,988.50 करोड़ का और निवेश किया। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 2,03,228.43 करोड़ परिकलित किया गया।

इन कंपनियों के लिए वर्ष 1999-2000 से 2001-02 और 2004-05 से 2016-17 तक की कुल आय ऋणात्मक थी जो यह संकेत देती है कि सरकार अपनी निधियों की लागत नहीं वसूल सकी। वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान कुल आय सकारात्मक थी, लेकिन यह न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से काफी कम थी।

ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य पर रिटर्न की दर

1.13.2 2017-18 और 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत आधार और वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर रिटर्न की तुलना, जब सकारात्मक आय थी, निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1.10: राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अर्जन	ऐतिहासिक लागत पर		वर्तमान मूल्य (पी.वी.) पर	
		वर्ष के अंत में इक्विटी और अनुदान के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में इक्विटी और अनुदान के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश	निवेश पर वास्तविक रिटर्न की दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4=(2/3)×100	5	6=(2/5)×100
2017-18	794.66	94,960.85	0.84	1,73,885.91	0.46
2018-19	687.91	1,07,848.61	0.64	2,03,228.43	0.34

गत दो वर्षों के दौरान रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न ऐतिहासिक लागत पर आधारित रिटर्न की तुलना में कम था। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत के आधार पर रिटर्न 0.84 तथा 0.64 प्रतिशत था जबकि वर्तमान मूल्य पर आधारित वास्तविक रिटर्न की दर क्रमश: 0.46 तथा 0.34 प्रतिशत थी।

निवल मूल्य का क्षरण

1.14 निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष में से संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय घटाकर बचा मूल्य। मुख्यतः यह एक माप है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा पूरे निवेश को संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय से मिटा दिया गया है। 31 मार्च 2019 तक विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹ 30,432.75 करोड़ के पूंजी निवेश के विरूद्ध ₹ 28,657.21 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,775.54 करोड़ ***(परिशिष्ट 1)*** की निवल राशि रही। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का निवल मूल्य (-) ₹ 2,932.14 करोड़ और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का (-) ₹ 2,516.38 करोड़ था।

निम्न तालिका 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि और निवल मूल्य को इंगित करती है:

तालिका 1.11: 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूंजी	मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष	संचित लाभ/हानि	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
2014-15	8,370.48	-	-29,173.23	0.02	-20,802.77
2015-16	11,322.28	-	-29,122.79	0.01	-17,800.52
2016-17	11,675.82	-	-30,082.91	0.01	-18,407.10
2017-18	17,147.50	-	-29,302.90	0.02	-12,155.42
2018-19	30,432.75	-	-28,657.21	0.00	1,775.54

राज्य सरकार ने 2014-19 की अवधि के दौरान इक्विटी पूंजी के माध्यम विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। हालांकि, पूंजी देने के बावजूद, इन विद्युत कंपनियों का संचित घाटा 2014-15 में ₹ 29,173.23 करोड़ से आंशिक रूप से घटकर 2018-19 में ₹ 28,657.21 करोड़ हो गया। 2017-18 तक इन कंपनियों में निवेश की गई समग्र पूंजी का ह्रास हो गया। 2017-18 के दौरान, विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के ₹ 794.66 करोड़ का लाभ दर्ज करने के बावजूद, संचित घाटे के कारण निवल मूल्य नकारात्मक (₹ 12,155.42 करोड़) रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान तथा ₹ 5,190 करोड़ के ऋण का ₹ 12,975 करोड़ की इक्विटी पूंजी में रूपांतरण के कारण निवल मूल्य सकारात्मक (₹ 1,775.54 करोड़) हो गया ।

2014-15 से 2018-19 के दौरान चार सा.क्षे.उ. में से, दो[12] सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य नकारात्मक था और दो[13] सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य सकारात्मक था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान दो[14] सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य में वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान दो[15] सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य में सुधार हो रहा था।

लाभांश भुगतान

1.15 राज्य सरकार ने दिशानिर्देश तैयार किए (अक्तूबर 2003) जिनके अंतर्गत सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लाभांश को निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में घोषित किया जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां अवधि के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी का उपयोग

12 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

13 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

14 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।

15 उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिडेट।

किया गया था, नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.12: 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ. जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी प्राप्त की गई (प्रारंभिक संचित हानि के समायोजन के बिना)		सा.क्षे.उ. जिन्होंने लाभ अर्जित किया		सा.क्षे.उ. जिन्होंने लाभांश घोषित किया/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	4	6,999.16	1	2,900.24	-	-	-
2015-16	4	8,618.58	1	2,949.04	-	-	-
2016-17	4	10,546.57	2	5,617.59	-	-	-
2017-18	4	16,001.00	4	16,001.00	-	-	-
2018-19	4	29,303.48	4	29,303.48	-	-	-

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या एक और चार के मध्य रही और अर्जित लाभ ₹ 11.96 करोड़ और ₹ 278.24 करोड़ के मध्य था। तथापि, किसी भी सा.क्षे.उ. ने हरियाणा सरकार को लाभांश घोषित नहीं किया/भुगतान नहीं किया।

विद्युत क्षेत्र के चार सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार 2018-19 के दौरान ₹ 687.91 करोड़ (ब्याज और करों के बाद) का कुल लाभ अर्जित किया लेकिन उनमें से किसी ने भी लाभांश घोषित करने पर विचार नहीं किया। वर्ष 2018-19 के दौरान, एच.वी.पी.एन.एल. और एच.पी.जी.सी.एल. को क्रमश: ₹ 490.61 करोड़ और ₹ 161.46 करोड़ का कुल लाभ और क्रमशः ₹ 196.98 करोड़ और ₹ 209.99 करोड़ का निवल लाभ होने के बावजूद, सरकार को लाभांश घोषित नहीं किया।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठा सकती है।

इक्विटी पर रिटर्न

1.16 इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को शेयरधारकों की निधि द्वारा विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी किसी भी उस कंपनी के लिए गणना की जा सकती है, जिसमें निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक संख्या हों।

शेयरधारकों की निधि या किसी कंपनी के निवल मूल्य की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त

परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर रिटर्न की गणना विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के इन चार उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर रिटर्न का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.13: विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों, जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न

वर्ष	वर्ष की निवल आय/कुल अर्जन[16] (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)
2014-15	-3,453.86	-20,802.73	-
2015-16	-2,017.26	-17,800.50	-
2016-17	-7.91	-18,407.08	-
2017-18	794.66	-12,155.38	-
2018-19	687.91	1,775.54	38.74

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2019 को समाप्त पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान, निवल आय केवल 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान सकारात्मक थी, हालांकि, 2014-15 से 2017-18 के दौरान शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी। चूंकि 2014-15 से 2017-18 के दौरान इन सा.क्षे.उ. की निवल आय और 2014-15 से 2017-18 के दौरान शेयरधारकों की निधि नकारात्मक थी, इसलिए इन सा.क्षे.उ. के संबंध में इक्विटी पर रिटर्न परिकलित नहीं किया जा सका। शेयरधारकों की नकारात्मक निधि से संकेत मिलता है कि 2014-15 से 2017-18 में इन सा.क्षे.उ. की देनदारियां शेयरधारकों को रिटर्न देने के बजाय परिसंपत्तियों से अधिक हो गई हैं।

2018-19 के दौरान, शेयरधारकों की निधि सकारात्मक रूप से ₹ 1,775.54 करोड़ दर्ज की गई और इक्विटी पर रिटर्न 38.74 प्रतिशत परिकलित किया गया। सकारात्मक शेयरधारकों की निधि का मुख्य कारण उदय योजना के अंतर्गत ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान और ₹ 5,190 करोड़ के ऋण को ₹ 12,975 करोड़ की इक्विटी राशि में बदलना था।

नियोजित पूंजी पर रिटर्न

1.17 नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर.ओ.सी.ई.) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित है।

आर.ओ.सी.ई. की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[17] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों के आर.ओ.सी.ई. का विवरण नीचे तालिका में दिया

16 संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार।

17 नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

गया है:

तालिका 1.14: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)		
	लाभ कमाने वाले सा.क्षे.उ.	हानि उठाने वाले सा.क्षे.उ.	कुल
2014-15	13.16	5.21	7.56
2015-16	13.09	34.01	26.35
2016-17	11.38	113.23	33.82
2017-18	12.62	-	75.15
2018-19	18.58*	-	27.48

* उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को छोड़कर जिसकी नियोजित पूंजी वर्ष के लिए नकारात्मक थी।

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान आर.ओ.सी.ई. में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि मुख्य रूप से उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा ऋण लेने और अनुदान प्रदान करने के कारण वित्त लागत में कमी आई है। 2018-19 में यह हरियाणा सरकार द्वारा ₹ 12,975 करोड़ के अनुदान/ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण घट गया।

कंपनियों के दीर्घ अवधि ऋणों का विश्लेषण

1.18 2014-15 से 2018-19 के दौरान कंपनियों के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण कंपनियों को सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज आवृत अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज आवृत अनुपात

1.19 ब्याज आवृत अनुपात का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होता है, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होती है। एक से नीचे ब्याज आवृत अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व पैदा नहीं कर रही थी। विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों, जिनमें 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ब्याज भार था, में ब्याज आवृत अनुपात का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.15: ब्याज आवृत अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	1 से अधिक ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज आवृत अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2014-15	3,471.80	1,500.43	4	1	3
2015-16	4,531.25	4,125.81	4	2	2
2016-17	3,134.92	1,723.04	4	3	1
2017-18	2,673.69	3,943.18	4	4	0
2018-19	2,061.99	3,550.93	4	4	0

वर्ष 2014-15 में एक से अधिक की ब्याज आवृत अनुपात वाली विद्युत क्षेत्र की केवल एक कंपनी (एच.पी.जी.सी.एल.) थी, 2017-18 तथा 2018-19 में सभी चार कंपनियों में एक से

अधिक का ब्याज आवृत अनुपात था।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.20 पिछले पांच वर्षों के दौरान, विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 10.59 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई और 2018-19 में दीर्घावधि ऋण घटकर ₹ 11,144.53 करोड़ हो गया, जिसके कारण ऋण-दर अनुपात 2014-15 में 0.88 से सुधरकर 2018-19 में 0.30 हो गया जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.16: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार और अन्य से ऋण (बैंक और वित्तीय संस्थान)	24,339.52	33,459.49	28,956.75	17,402.60	11,144.53
टर्नओवर	27,716.88	29,475.63	32,169.09	34,370.70	36,818.34
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.88:1	1.14:1	0.90:1	0.51:1	0.30:1

स्रोत: ***परिशिष्ट 1*** के आधार पर संकलित।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

1.21 विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय स्कीम) का शुभारंभ किया (20 नवंबर 2015)। उदय स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इसमें भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

परिचालन क्षमता में सुधार के लिए स्कीम

1.21.1 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को अनिवार्य फीडर और वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी.टी.) मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण और घाटे की भौगोलिक सूचना प्रणाली मैपिंग, ट्रांसफार्मर एवं मीटरों के उन्नयन या बदलने, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से डिमांड साइड प्रबंधन (डी.एस.एम.), टैरिफ का संशोधन, जैसी विभिन्न लक्षित गतिविधियां करने की आवश्यकता थी। इनके साथ-साथ व्यापक उपभोक्ता सूचना, शिक्षा और संचार अभियान बिजली की चोरी रोकने, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन देता है जहां परिचालन क्षमता में सुधार के लिए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (ए.टी. एंड सी.) को कम किया गया है। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके अर्थात् फीडर और डी.टी. स्तर पर नुकसान को ट्रैक करने की क्षमता, हानि उठाने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान को कम करना, आउटेज को कम करना, बिजली की चोरी को कम करना और चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, पीक लोड और ऊर्जा की खपत को कम करना आदि। परिचालन सुधार के परिणामों को संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था अर्थात् विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) और राज्यों द्वारा अंतिम रूप से नुकसान की कमी प्रक्षेप पथ के अनुसार 2018-19 तक ए.टी. एंड सी. हानि में 15 प्रतिशत की कमी, 2019-20 तक आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के मध्य अंतर में शून्य तक कमी थी।

वित्तीय बदलाव की स्कीम

1.21.2 इसमें भाग लेने वाले राज्यों को 30 सितंबर 2015 को डिस्कॉम्ज का 75 प्रतिशत बकाया ऋण, अर्थात् 2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत, लेना अपेक्षित था। वित्तीय बदलाव की स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान हैं:

- राज्य *'गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात'* नॉन-एस.एल.आर. बांड जारी करेगा और ऐसे बांडों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम में हस्तांतरित कर दिया जाएगा जो बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। ऐसे जारी किए गए बांडों में 10-15 साल की परिपक्वता अवधि होगी, जिसमें पांच साल तक की अधिस्थगन अवधि में मूलधन चुकाने की मोहलत होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता के साथ तथा इसके बाद उच्च लागत के ऋण को लिया जाएगा।
- 2015-16 और 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम में हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा, जो डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ तीन वर्षों में दिया जा सकता है।
- असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

उदय स्कीम का कार्यान्वयन

1.21.3 उदय स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:

क. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि

दो राज्य डिस्कॉम्ज से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के संबंध में उदय स्कीम के अंतर्गत उपलब्धियों की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 1.17: 31 मार्च 2019 तक मानदंड-वार उपलब्धियों की तुलना में परिचालनात्मक निष्पादन के लक्ष्य

उदय स्कीम का मानदंड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशत में)
फीडर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	1,365	1,643	120.37
ग्रामीण	1,621	1,451	89.51
वितरण ट्रांसफार्मर पर पैमाइश (संख्या में)			
शहरी	2,79,420	34,300	12.28
ग्रामीण	4,78,120	32,195	6.73
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	3,536	3,536	100.00
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	1,621	1,687	104.07
असंबद्ध घर को बिजली (संख्या में)	49,18,000	22,13,640	45.01
500 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	4,31,797	9,081	2.10
200 के.डब्ल्यू.एच. से ऊपर तथा 500 के.डब्ल्यू.एच. तक स्मार्ट पैमाइश (संख्या में)	8,22,747	3,857	0.47
एल.ई.डी. उजाला का वितरण (संख्या में)	2,14,00,000	1,56,60,654	73.18
ए.टी. एंड सी. हानि (प्रतिशत में)	15	14.86 से 21.12	-
ए.सी.एस.-ए.आर.आर. अंतर (₹ प्रति यूनिट)	-0.12	-0.03	-
परिदान सहित निवल आय या लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	-456	280.94	100

स्रोत: दोनों डिस्कॉम्ज द्वारा प्रदान की गई सूचना।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी.टी.) में मीटरिंग के मानक में राज्य का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं था। स्मार्ट मीटरिंग का काम भी खराब था, जबकि फीडर पृथक्करण और फीडर मीटरिंग के क्षेत्रों में राज्य निष्पादन उत्कृष्ट रहा। वर्ष 2018-19 तक कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानि को 15 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य अभी भी यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्राप्त किया जाना था। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मार्च 2019 तक उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य के दोनों डिस्कॉम्ज द्वारा प्राप्त की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर सभी राज्यों के बीच राज्य को पांचवां स्थान प्रदान किया था।

ख. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.21.4 विद्युत मंत्रालय, हरियाणा सरकार और राज्य डिस्कॉम (अर्थात् यू.एच.बी.वी.एन.एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए (11 मार्च 2016)। उदय स्कीम और त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितंबर 2015 को राज्य के दो डिस्कॉम से संबंधित कुल बकाया ऋण (₹ 34,600 करोड़) में से हरियाणा सरकार ने 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 25,950 करोड़ का कुल ऋण टेक ओवर किया ।

एम.ओ.यू. के संदर्भ में, हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया ₹ 25,950 करोड़ का ऋण अंततः 2015-16 से प्रारंभ पांच साल की अवधि के लिए ₹ 3,892.50 करोड़ के अनुदान और ₹ 1,297.50 करोड़ की इक्विटी में प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जाना था। यह परिकल्पना की गई थी कि 2019-20 के अंत में, हरियाणा सरकार के पास ₹ 6,487.50 करोड़ की इक्विटी होगी और ₹ 19,462.5 करोड़ अनुदान के माध्यम से डिस्कॉम को दिए जाएंगे। इस अनुपात में, 31 मार्च 2019 को, ₹ 5,190 करोड़ की इक्विटी और ₹ 15,570 करोड़ के अनुदान को लिए गए ऋण से परिवर्तित किया जाना चाहिए था । इसके अतिरिक्त, उदय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार "असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है"।

योजना का वास्तविक कार्यान्वयन नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

तालिका 1.18: उदय स्कीम का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	कुल
2015-16	1,297.50	12,110.00	3,892.50	**17,300.00**
2016-17	1,297.50	3,460.00	3,892.50	**8,650.00**
कुल	**2,595.00**	**15,570.00**	**7,785.00**	**25,950.00**
2017-18	5,190.00	-5,190.00	0.00	**0.00**
2018-19	12,975.00	-5,190.00	-7,785.00	**0.00**
31 मार्च 2019 को स्थिति	**20,760.00**	**5,190.00**	**0.00**	**25,950.00**

यह देखा गया था कि हरियाणा सरकार ने एम.ओ.यू. और योजना की अधिसूचना के प्रावधानों का पालन नहीं किया। 2017-18 के दौरान, ₹ 5,190 करोड़ का ऋण अनुदान और इक्विटी के बीच द्विभाजन के बजाय पूरी तरह से इक्विटी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान हरियाणा सरकार ने ₹ 5,190 करोड़ और ₹ 7,785 करोड़ के ऋण को परिवर्तित किया, जो कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में इक्विटी में प्रदान किया गया था।

परिणामत:, हरियाणा सरकार ने एम.ओ.यू. के अंतर्गत परिकल्पित ₹ 6,487.50 करोड़ की सीमा से अधिक इक्विटी में ₹ 20,760 करोड़ का निवेश किया है और ₹ 7,785 करोड़ के अनुदान को 100 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित करके अनुदान के हिस्से को शून्य कर दिया है, जो उदय योजना की अधिसूचना के अनुरूप नहीं था।

डिस्कॉम्ज ने अन्य वित्तीय संस्थानों और बैंकों को देय ऋण देयता का निर्वहन करने के लिए उदय स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर अक्तूबर 2015 से मार्च 2019 की अवधि के लिए ₹ 2,787.24 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया। ये ऋण हरियाणा सरकार द्वारा 8.06 एवं 8.21 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए थे।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां

1.22 विद्युत क्षेत्र की चार कंपनियों ने 1 अक्तूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अपने सात लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित किए। इन सभी लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और नि.म.ले.प. द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 2016-19 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 1.19: विद्युत क्षेत्र की कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	1	13.06	-	-	3	144.29
2	लाभ में वृद्धि	1	79.68	3	714.78	1	219.62
3	हानि में वृद्धि	2	127.10	1	3,428.35	-	-
4	हानि में कमी	1	380.23	2	304.46	-	-
5	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	-	-	-	-	3	93.35
6	वर्गीकरण की त्रुटियां	2	652.09	-	-	3	912.43

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो[18] लेखाओं पर परिमित प्रमाण-पत्र तथा दो लेखाओं पर अपरिमित प्रमाण-पत्र जारी किए थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.23 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के भाग-I के लिए 'हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और सात अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। राज्य सरकार से निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) तथा पांच अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 793.03 करोड़ है।

[18] हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 1.20: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 अप्रैल 2020 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2016-17	14.03.2018	-	13	-	05
2017-18	26.11.2019	01	04	01	04

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

2016-17 के पांच अनुच्छेदों और 2017-18 के एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चार अनुच्छेदों की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

1.25 30 अप्रैल 2020 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रकट निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुच्छेदों की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 1.21: 30 अप्रैल 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2015-16	01	09	-	09
2016-17	-	13	-	-
2017-18	01	04	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

2014-15 तक विद्युत क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

लोक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 मार्च 2016 और मार्च 2019 के मध्य राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र) से संबंधित राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपू के पांच प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 अप्रैल 2020), जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 1.22: कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपू रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2015-16	1	4	1 (14)
2016-17	1	7	5 (1 से 5)
2017-18	1	8	7 (3, 4, 5, 6, 12, 13 एवं 14)
2018-19	1	5	2 (4, 5)
2019-20	1	4	4 (5, 6, 7 एवं 8)
कुल	**5**	**28**	**19**

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन। कोष्टक में आंकड़े कोपू रिपोर्ट की सिफारिश संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं जो 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुए थे।